न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

कासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दु बाला राजावत, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 109/2024
किस्म :– प्रार्थना – पत्र
दायर दिनांक : 08.08.2024

अनवान

गोपाल पुत्र चम्पालाल जाति भील,उम्र वयस्क निवासी चौकडी तहसील रेलमगरा जिला राजसमद। **–प्रार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार महोदय रेलमगरा जिला राजसमंद। **–विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –1. श्री राकेश सनाढ्य, अधिवक्ता वादीगण।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक 07.01.2026

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम अरडकिया पटवार हल्का ओडा तहसील रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 1416/106 रकबा 0.0890 हैक्टर भूमि स्थित है। जो प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1416/106 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आम सडक जिसके आराजी नंबर 128 जो रेलमगरा से कांकरोली जाती है। प्रार्थी की उक्त आराजी के ठीक सामने अर्थात् दक्षिण दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 1453/106 स्थित है। प्रार्थी आम सउक से विपक्षी की आराजी संख्या 1453/106 में दक्षिण से उत्तर की ओर अग्रसर होता हुआ प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 1416/106 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ते के अलावा उक्त आराजीयात् मे आने जाने हल बैल बैलगाडी लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नहीं है तथा प्रार्थी उक्त कदीमी रास्ते का ही उपयोग उपभोग कृषि कार्य अपने पूर्वजों के समय से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है। जो प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपनी भूमि खरीद की दिनांक से करता चला आ रहा है। प्रार्थी का अपने उक्त खेतो में आने जाने का यही एममात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई दूसरा रासता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त कदीमी रास्ता मौके पर 30 फीट चौडाई का मौजुद है। आराजी संख्या 1453/106 वर्तमान में विपक्षी के नाम पर राजस्व रेकर्ड में जर्द होने से विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा बार बार रोक टोक करने एवं अवैध कार्यवाही की प्रार्थी को धमकियां देने की वजह से उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यवधान बाधा रूकावट कारित होती है तथा प्रार्थी को अपनी उक्त आराजी में आने जाने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा आज से दो माह पूर्व विपक्षी के अधिनस्थ कर्मचारी ने आराजी संख्या 1453/106 में उक्त रास्ते को बंद करने की व अवैधकार्यवाही करने की धमकिया देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्व राजस्थान राज्य तहसीलदार महोदय के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पंत्र देना आवश्यक होता है परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। वादग्रस्त जायदाद एवं पक्षकार का न्यायालय आपके क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रीमान् के सक्षम प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्यायशुल्क 1/– रूपये पर पेश है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या में आने जाने हल बैल बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु आम सडक जिससे आराजी नंबर 128 जो रेलमगरा से कांकरोली जाती है, से उक्त प्रार्थी आराजी के ठीक सामने अर्थात् दक्षिण दिशा में विपक्षी की आराजी संख्या 1453/106 स्थित है। प्रार्थी आम सडक से विपक्षी की आराजी संख्या में दक्षिण से उत्तर की और अग्रसर होता हुआ, प्रार्थी अपनी आराजी संख्या में प्रवेश करता है। प्रार्थी को 30 फीट चौडा लंबा सम्पुर्ण रास्ता दिलवाई जाने का आदेश प्रदान करवाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की और से जवाव/जांच रिपोर्ट पेश की गई। जो शामिल फाईल की गई। जिसका विवरण निम्नानुसार है – 1. वर्तमान में आराजी संख्या 1416/106 रकबा 0.0890 हैक्टर मांगीलाल पुत्र भगवानलाल भील निवासी राज्यावास के नाम दर्ज है। 2. वादी गोपाल पुत्र चम्पालाल भील निवासी चौकडी ने भूमि विक्रय कर दी है नामान्तरण संख्या 1466 दिनांक 18.09.2025 से मांगीलाल पुत्र भगवान केता के नाम दर्ज है। 3. मौके पर उक्त आराजी संख्या 1416/106 का गैर कृषि उपयोग हो रहा है। मौके पर मिट्टी डालकर पीलर लगे है एव आवासीय प्लान बना रखाहै। तर्वमान में उक्त भूमि वादी के नाम दर्ज नहीं है। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों, विपक्षी का जवाब एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस आदि का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश दिया जाता है कि –

–: आदेश :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा– 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अपने पक्ष में साबित कराने में असफल रहे। **अतः प्रार्थी का प्रार्थना – पत्र खारिज किया जाता है।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बिन्दु बाला राजावत, RAS)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा (राजसमंद)